

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक /
सं० सं०-०५/उ०नि० लोक लेखा १०/२०१५

पटना, दिनांक

प्रेषक,

उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली, बेगूसराय, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका,
भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, गया, गोपालगंज, जमुई,
जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर,
पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल।

विषय : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या २२१ में कंडिका क्रमांक ११ में
सन्निहित अनुशंसाओं का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक ४०४२ दिनांक ३०.०८.२०१६
द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या २२१ में कंडिका क्रमांक ११ में समिति का अनुशंसा
निम्नवत् है :-

१-सभी बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाय। इस कार्य में विलंब के
लिए दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाय, तथा की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के
अन्दर अवगत कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष १९७०-७१ से १९७९-८० तक। उक्त
वर्णित अवधि एवं वर्तमान में लेखापरीक्षा निरीक्षण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की
कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-श्रीमती विक्टोरिया पुर्ती, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
पत्रांक ४०४२ दिनांक ३०.०८.२०१६ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ३२२१

पटना, दिनांक ०६.०९.१६

प्रतिलिपि :-आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने
हेतु प्रेषित।

उप उद्योग निदेशक

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।